



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 17.02.2024



आत्म हत्या के लिये दुष्प्रेरण के आरोपी को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.02.2024 को वादी कुलदीप कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम कंधेसी पचार थाना भरथना जनपद इटावा ने थाना भरथना पर तहरीर दी कि दिनांक 16.02.2023 को वादी की पुत्री सरिता ट्रेन से कट गयी, जिसकी जेब से सुसाइड नोट मिला जिसमे यह लिखा था कि मेरी (सरिता) आत्महत्या का जिम्मेदार असित यादव है । तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 306 भादवि बनाम असित यादव पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाछिंत/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे आज दिनांक 17.02.2024 को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त असित यादव कृष्णानगर ओवर ब्रिज के पास पास कही जाने की फिराक मे खडा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त असित यादव पुत्र राजवीर सिंह को कृष्णानगर ओवर ब्रिज भरथना के पास से समय 15.20 बजे गिरफ्तार किया गया ।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. असित यादव पुत्र राजवीर सिंह निवासी महादेव नगर कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा उम्र 24 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 39/24 धारा 306 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, वरि0उ0नि0 जय सिंह, का0 सोनवीर सिंह ।